पत्रांक– सि0वि0सि0/निवेश प्रोत्साहन/09–2015 522

झारखण्ड सरकार

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

रॉची, दिनांक– 22/02/17

अधिसूचना

विभिन्न सेक्टर में प्राप्त निवेश के प्रस्तावों की समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से **''झारखण्ड निवेश बोर्ड''** का गठन किया जाता है :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, झारखण्ड	–	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/उर्जा विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग/पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग/परिवहन एवं नागर विमानन विभाग/निदेशक, उद्योग	–	सदस्य
4.	अध्यक्ष/सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	–	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग	–	सदस्य सचिव

यह बोर्ड प्रत्येक माह सभी निवेश के प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा करेगा। समीक्षा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर की जाएगी :–

1. भूमि उपलब्धता
2. परियोजना हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता।
3. विभिन्न स्तरों से मिलने वाली अनुमति /अनापत्ति/क्लीयरेंस की समीक्षा।
4. विभिन्न विभागों से प्रस्ताव पर समन्वय।
5. निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की भौतिक प्रगति की समीक्षा।
6. अन्यान्य।

इसी क्रम में उक्त बोर्ड के उद्देश्य तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु बोर्ड के सहयोग के लिए क्रियान्वयन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाती है जो निम्न प्रकार होगी :–'

1.	मुख्य सचिव, झारखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग /राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग/परिवहन एवं नागर विमानन विभाग/ अध्यक्ष/सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद /उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग	–	सदस्य
3.	निदेशक, उद्योग	–	सदस्य सचिव

कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा क्रियान्वयन समिति द्वारा करते हुए बोर्ड को अवगत कर जाएगा तथा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन समिति बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करायेगी ।

प्राप्त निवेश प्रस्तावों की प्रारंभिक समीक्षा सिंगल विण्डो सिस्टम में Knowledge Partner के प्रतिनिधियों तथा सिंगल विण्डो सिस्टम कार्यालय/उद्योग निदेशालय के कर्मियों द्वारा की जाएगी तदुपरांत सिंगल विण्डो सिस्टम द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित क्रियान्वयन की कार्रवाई बोर्ड द्वारा की जाएगी।

झारखण्ड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड के रुप में पूर्ववत कार्य करेगा।

उक्त पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड सरकार के असाधारण राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

22/2/17

(सुनील कुमार बर्णवाल)
सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक 522 /रॉची, दिनांक 22/02/17
सि0वि0सि0/निवेश प्रोत्साहन/09—2015

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट की आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट के 100 मुद्रित प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

22/2/17

सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक 522 /रॉची, दिनांक 22/02/17
सि0वि0सि0/निवेश प्रोत्साहन/09—2015

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री/उद्योग मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड / सभी प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, रॉची/प्रभारी, सिंगल विण्डो सिस्टम, नेपाल हाउस, रॉची/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22/2/17

सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग